

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

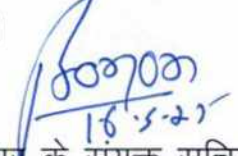
सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-40/2024 श्र०सं०...../श्री देवश कुमार, श्रम अधीक्षक, अरवल (अतिरिक्त प्रभार- सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी कार्यालय, पटना) से प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी अभ्यावेदन दिनांक 17.12.2024 के आलोक में उनकी अस्वस्थता के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम-74 में निहित प्रावधान के तहत उन्हें दिनांक 17.12.2024 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-40/2024 श्र०सं०.....19...../ पटना-01, दिनांक-19/12/25

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी कार्यालय, पटना/जिला पदाधिकारी, अरवल/श्रम अधीक्षक, अरवल/श्री देवश कुमार, श्रम अधीक्षक, अरवल एवं आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16.12.25
सरकार के संयुक्त सचिव